न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

(1) प्रकरण संख्याः 14 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / झालावाड
दायरा दिनांकः 3.3.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23 पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड मुम्बा माता मंदिर के पास उज्जैन जिला उज्जेन म0प्र0।

...अपीलार्थी

बनाम

1. नजीर उद्दीन उर्फ शेख नजीमुद्दीन वल्द वजीनुद्दीन
2. यासीर उद्धीन वल्द वजीनुददीन जाति मुसलमान नि0 सुनेल जिला झालावाड–राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सईद अहमद खॉ अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक–रेस्पो0 क्रम–1 व 2

(2) प्रकरण संख्याः 15 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / झालावाड
दायरा दिनांकः 3.3.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23 पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड मुम्बा माता मंदिर के पास उज्जैन जिला उज्जेन म0 प्र0।

...अपीलार्थी

बनाम

1. नजीरउद्दीन उर्फ शेख नजीमुद्दीन वल्द वजीनुद्दीन
2. यासीरउद्धीन वल्द वजीनुददीन जाति मुसलमान नि0 सुनेल जिला झालावाड–राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सईद अहमद खॉ अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक–रेस्पो0 क्रम–1 व 2

(3) प्रकरण संख्याः 16 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / झालावाड
दायरा दिनांकः 3.3.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23 पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड मुम्बा माता मंदिर के पास उज्जैन जिला उज्जेन म0 प्र0।

...अपीलार्थी

अति. सं. आयुक्त

बनाम

1. नजीरउद्दीन उर्फ शेख नजीमुद्दीन वल्द वजीनुद्दीन
2. यासीरउद्दीन वल्द वजीनुददीन जाति मुसलमान नि0 सुनेल जिला झालावाड–राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सईद अहमद खॉ अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक–रेस्पो0 क्रम–1 व 2

::निर्णय::

दिनांक 19.6.2024.

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021, 3/21, 4/21 (अपील) उनवान मजीतन बनाम नजीरउद्दीन उर्फ शेख नजीमुद्दीन वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत उपरोक्त उनवान की अपीलो मे एक समान विषयवस्तु तथा एक समान पक्षकार निहित होने से उपरोक्त उनवान की अपील सं 14/22, 15/22, 16/22 को न्यायहित मे एक ही निर्णय से निर्णित किया गया।

2 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 4428 के विरूद्ध अपील सं0 2/21 एंव नामा0 सं0 855 के विरूद्ध अपील सं0 3/21 तथा नामान्तरकरण सं0 4429 के विरूद्ध अपील सं0 4/21 अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर उक्त नामा0 दूषित प्रक्रिया से साजिश के तहत लोकडाउन के मध्य अपीलांट को नोटिस दिये बगेर व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किये जाने से गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने हेतु पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीले निर्णय दिनांक 23.11.2021 से खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 बिना सुनवाई का अवसर दिये व जांच किये बिना तस्दीक किया गया था जो कतई गलत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गोर नही किया। दिनांक 11.1.20 को अपीलांट की खातेदारी वाली भूमि का नामा0 उसकी सहमति के बिना तस्दीक नही करने तथा अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का हक त्याग नही करने बावत ना0 तह0 सुनेल को सूचित कर दिया था । साजिशवश हक त्याग की बात कही गई है तथा दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज हैजो अपीलांट के विरूद्ध प्रभाव शून्य है। इस दस्तावेज से अपीलांट पाबन्द नही है किन्तु परीक्षण न्यायालय ने कूट रचित हक त्याग दस्तावेज के आधार पर रेस्पो0 का नाम नामा0 मे अंकित कर दिया इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय मे भी अपीलांट ने रखा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअदांज कर दिया। हक त्याग के आधार इंतकाल तस्दीक किया लेकिन बयान अंकित नही किये जबकि हक त्याग के मामले मे पक्षकारान के बयानो के बिना हम त्याग साबित नही हो सकता। ऐसी स्थिति मे कानून के खिलाफ है। राजस्व मामलो हक त्याग का कोई प्रावधान नही है। और इस तथ्य को स्वीकार भी नही किया जा सकता। तथा इसके आधार पर कोई इंतकाल या निर्णय पारित नही किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.21 तथा उपरोक्त वर्णित नामा0 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नायब तहसीलदार सुनेल ने रिलीज डीड के आधार पर दूषित प्रक्रिया के माध्यम से साजिश के साथ लोकडाउन के मध्य अपीलांट को नोटिस दिये बगेर व सुनवाई का अवसर दिये बिना जो गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हक त्याग अनुचित तरीके से करवाया गया है जो शून्य है। राजस्व मामलो मे हक त्याग का कोई प्रावधान नही है और इस तथ्य को स्वीकार भी नही किया जा सकता। तथा इसके आधार पर कोई इंतकाल या निर्णय पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः उक्त अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय व उपरोक्त वर्णित नामा0 निरस्त किये जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि नामा0 सं0 4428, 4429, 855 हक त्याग पत्र के आधार पर विधिक प्रक्रिया पंजीयान अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए तस्दीक किये गये है। सहखातेदार मजीतन (अपीलांट) ने अपने नाम से खातेदारी मे दर्ज आराजी का हक त्याग अपने भाई के पुत्रों के नाम स्नेह वश किया है जिसको उप पंजीयक द्वारा आवश्यक एंव विधिक जानकारी हक त्याग कर्ता को दी गई एंव उनसे ली गई उसके उपरांत ही उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया है। अतः उक्त अपीले खारिज की जावे।

6 हमने अपील पत्रावलीयों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलाधीन नामा0 सं0 4428 नामा0 सं0 855 तथा नामान्तरकरण सं0 4429 कार्यालय उप पंजीयक सुनेल मे अपीलांट द्वारा सहखातेदार व अपने भतीजे के पक्ष मे दिनांक16.12.2019 को कराये गये रजिसटर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार सुनेल ने तस्दीक किया है। अपीलांट को यदि उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसको विधि अनुसार सक्षम सिविल न्यायालय मे चुतौती देने के लिये वह स्वतंत्र है। पत्रावली मे रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध व शून्य घोषित करने संबधी कोई आधार अभिलेख/दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरण मे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 23.11.21 मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "अपील के माध्यम से अपीलांटा को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती" अभिमत प्रकट करते हुये अपीले खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त अभिमत विधिसम्मत होने से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है।

7 परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांटा द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील 14/22, 15/22, एंव 16/22 खारिज की जाती है। निर्णय अपील पत्रावलीयों मे पृथक–पृथक सलग्न किया गया।

8 निर्णय आज दिनांक 19.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा